

18-05-18

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्त गोवर्धन अनुपस्थित। उसकी ओर से व शेष अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री धीरसिंह तोमर।

अनुपस्थित अभियुक्त का हाजिरीमाफी आवेदन पेश, बाद विचार स्वीकार।

फरियादी राजकुमार सहित अधिवक्ता श्री अरुण श्रीवास्तव।

फरियादी द्वारा प्रकरण में राजीनामा की संभावना व्यक्त की।

उभय पक्षों के मध्य संबंधों एवं प्रकरण की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुये प्रकरण में मध्यस्थता के माध्यम से उभय पक्षों के मध्य विवाद का पूर्ण रूप से निराकरण होना संभव प्रतीत होता है। अतः मध्यस्थता के लिए एक उपयुक्त प्रकरण है।

अतः मध्यस्थता सम्प्रेषण आदेश उभय पक्षों व उनके अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर कर मध्यस्थता हेतु अध्यक्ष, तहसील विधिक सेवा समिति गोहद की ओर भेजा जावे। उभय पक्ष आज दिनांक 18.05.18 को मध्यस्थ के समक्ष उप0 रहें।

प्रकरण मीडियेशन कार्यवाही के प्रतिवेदन की प्रस्तुती हेतु पुनः पेश हो।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)

पुनश्च:

उभयपक्ष पूर्ववत।

प्रकरण मे मीडियेशन रिपोर्ट सफलता की टीप सहित प्रस्तुत।

फरियादी की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320 द0प्र0स0 राजीनामा हेतु अनुमति बाबत् मय राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320-2 फरियादी के हस्ताक्षर, छायाचित्र युक्त, पहचान संबंधी दस्तावेज की छायाप्रति सहित प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री अरुण श्रीवास्तव एवं अभियुक्तगण की पहचान अधिवक्ता श्री धीरसिंह तोमर द्वारा की गई।

उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।

अभियुक्तगण पर भा0द0वि0 की धारा 294, 323, 506 बी, 341 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है जिसमे से धारा 294, 506 बी न्यायालय की अनुमति से शमनीय है जबकि शेष स्वयं फरियादी द्वारा शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार

किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा 294, 323, 506 बी, 341 भा0द0वि0 के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्तगण जमानत व बंधपत्र भारमुक्त किए जाते हैं।

प्रकरण मे जप्त शुदा संपत्ति तीन लाठी मूल्यहीन होने से अपील अवधि बाद नष्ट किए जावे।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख मे दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में प्रेषित हो।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)